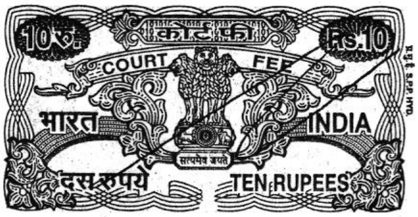

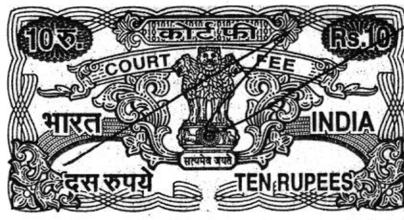


## *न्यायालय माननीय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर*

### *सर्किट केम्प भोपाल.*

निगरानी प्रकरण कमॉक– /2012–13

R. 10-II/13

श्रीमती हबीबा बी पत्नि इशहाक मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी–ग्राम बॉसखेडा
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0..........................................आवेदिका

*विरूद्ध*

1– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा– कलेक्टर रायसेन म0प्र0।

2– श्रीमती कलांबाई विधवा बाबूलाल
जाति–जाट निवासी–ग्राम कानाखेडाकलॉ
त्हसील व जिला रायसेन म0प्र0।..................................अनावेदकगण

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.**

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से विद्वान अपर कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा उनके प्रकरण कमॉक–35/निग0/अपर कले./2010–11 में पारित आदेश दिनॉक–26–11–2011 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी याचिका निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रहा है।

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 10-दो/13 जिला रायसेन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10-7-2018 | आवेदिका के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रायसेन के आदेश दिनांक 26-11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर कलेक्टर ने तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 2 दिनांक 21-5-2012 से किये गये अन्तरणों को अवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम अनुमति के किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-क) के तहत शून्य घोषित किया गया है ।<br>2/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-<br>(1) प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/1981-82 आदेश दिनांक 9-2-82 से प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा कलाबाई, विजय सिंह, अजय सिंह एवं भारत सिंह को प्रदत्त किया गया एवं प्रकरण क्रमांक4/अ-19/86-87 पारित आदेश दिनांक 16-7-87 द्वारा उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिसके आधार पर दिनांक 19-4-89 को कलाबाई की नवीन प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हुई ।<br>**(2)** तहसीलदार द्वारा उपरोक्त पट्टे की जांच न करते हुए केवल वर्ष 1959 के खसरे में शासकीय भूमि दर्ज होने तथा वर्ष 1982 में कलाबाई को पट्टा प्रदान करने और वर्तमान में आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में आने का प्रतिवेदन कलेक्टर को दिया गया, जिसके आधार पर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार द्वारा सूक्ष्मता से जांच नहीं की गई कि कलाबाई को 1982 में पट्टा दिया गया था एवं वर्ष 1987 में उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, तत्पश्चात उसके द्वारा वर्ष 1993 में प्रश्नाधीन भूमि के.एल. ठकराल को विक्रय की थी, जिसके आधार पर दिनांक 14-3-93 को उसका नाम दर्ज किया गया और आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 9/1 रकबा 2.023 हेक्टेयर के.एल. ठकराल से विक्रय पत्र दिनांक 9-1-2006 के माध्यम से क्रय की गई है, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भी दर्ज हो गया है । | |

(3) कलाबाई को वर्ष 1987 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा भूमि विक्रय की गई है और म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 165 (7-ख) के अंत:स्थापन के पूर्व भूमिस्वामी हो गया है तो बिना अनुज्ञा के ऐसी भूमि का विक्रय कर दिया और क्रेता का नाम नामांतरण हो गया तो ऐसी भूमि राज्य में निहित नहीं की जा सकती ।

(4) कलेक्टर द्वारा आवेदिका के उत्तर पर बिना विचार किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है ।

(5) कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेते समय सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया । अत: पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण भी कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किये बगैर आदेश पारित किया है ।

(7) कलेक्टर द्वारा 28 वर्ष पश्चात समय बाहय स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि एक वर्ष की युक्ति युक्त समयावधि में ही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है ।

(8) स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही किसी शिकायत या अन्य शासकीय निर्देश के आधार पर नहीं की जा सकती ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 196, 2004 आर.एन. 183 एवं 2013 आर.एन. 8 (उच्च न्यायालय), 2012 आर.एन. 362 2017 (1) 100, 2014 (1) 300, ए.आई.आर. 1969 एसी 1297 (सु.को.), 2000 आर.एन. 16 (उच्च न्यायालय), 1998 एम.पी. वीकली नोट 26, 2010 आर.एन. 406, 46, 2010 जे.एल.जे. 77 2006 आर.एन. 167 एवं 1998 (1) वीकली नोट्स 26 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कथित पट्टा वर्ष 1982 का है । प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय करने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी, जो कि नहीं ली गई है । यह बिन्दु भी विचारणीय है कि पट्टे आबंटन का प्रकरण दर्ज नहीं होने से मूल पट्टा भी संदिग्ध है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है और ऐसे आदेश को किसी भी समय हस्तक्षेप किया जा सकता है । अत: अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को स्वप्रेरणा से

R 10-II/13 रायसेन

निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अत: आवेदिका की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष